न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./19/19/अजमेर (2019/00019)

विभागीय अपील द्वारा श्री अनिल कुमार भाटी तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत करकेड़ी, पंचायत समिति किशनगढ जिला अजमेर के विरूद्ध निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर दिनांक 12.11.2018 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः— श्री अनिल कुमार भाटी तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत करकेड़ी, पंचायत समिति किशनगढ जिला अजमेर।

निर्णय

दिनांकः— 01.08.2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर के आदेश दिनांक 12.11.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए अपचारी कर्मचारी के नाम दिनांक 25.9.17 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः—

आरोप संख्या—एक

यह है कि आपके ग्राम पंचायत करकेड़ी पंचायत समिति किशनगढ़ में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद पर कार्यरत रहने के दौरान आप द्वारा ग्राम पंचायत करकेड़ी में मै0 वीर तेजा कन्स्ट्रक्शन मोखमपुरा द्वारा सामग्री सप्लाई में असमर्थता व्यक्त करने के उपरान्त उसकी 2 प्रतिशन जमा धरोहर राशि को जब्त करते हुए राजकोष में जमा करना था, जो कि आप द्वारा नहीं किया गया है जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या—दो

यह है कि आपके ग्राम पंचायत करकेड़ी पंचायत समिति किशनगढ में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद पर कार्यरत रहने के दौरान आप द्वारा ग्राम पंचायत करकेड़ी में मैं0 वीर तेजा कन्स्ट्रक्शन मोखमपुरा को अपूर्ण नोटिस दिया गया जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या–तीन

यह है कि आपके ग्राम पंचायत करकेड़ी पंचायत समिति किशनगढ़ में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद पर कार्यरत रहने के दौरान आप द्वारा ग्राम पंचायत करकेड़ी में मै0 रतन बिल्डिंग मैटिरियल सप्लायर्स रूपनगढ़, मै0 राजराम कन्स्ट्रक्शन रूपनगढ़ के निविदा शर्तो के अनुसार सामग्री सप्लाई से इन्कार करने पर इनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये बिना तथा धरोहर राशि जब्त किये बिना ही इनके धरोहर राशि के डी0डी0 वापस निविदादाताओं को लौटा दिये जिसके कारण राज्य सरकार को हानि हुई है। जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या–चार

यह है कि आपके ग्राम पंचायत करकेड़ी पंचायत समिति किशनगढ़ में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद पर कार्यरत रहने के दौरान आप द्वारा ग्राम पंचायत करकेड़ी में मैं0 वीर तेजा कन्स्ट्रक्शन मोखमपुरा, मै0 रतन बिल्डिंग मैटिरियल सप्लायर्स रूपनगढ़ मै0 राजराम कन्स्ट्रक्शन रूपनगढ़ द्वारा सामग्री आपूर्ति करने से इन्कार करने पर इनको ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जानी चाहिए जो आप द्वारा नहीं की गई है जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

अपीलार्थी को 10 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 24.10.2017 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इनको व्यक्तिगत सुनवाई कर अवसर देकर दिनांक 16.6.2017 नियत की गई। इस पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, अजमेर ने अपीलान्ट की सुनवाई कर आदेश दिनांक 12.11.2018 पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपचारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अजमेर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपचारी को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर का आदेश दिनांक 12.11.2018 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध सीसीए नियम 1958 के नियम 17 के तहत ग्राम पंचायत करकेड़ी में मैसर्स वीर तेजा कन्स्ट्रक्शन मोखमपुरा द्वारा सामग्री सप्लाई में असमर्थता व्यक्त करने के उपरान्त उसकी धरोहर राशि 2 प्रतिशत को राजकोष में जमा नहीं कराने, कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को अपूर्ण नोटिस देने, मैसर्स रतन बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स रूपनगढ़, मैसर्स राजाराम कन्स्ट्रक्शन रूपनगढ़ के निविदा शर्तो के अनुसार सामग्री सप्लाई करने से इन्कार करने पर इनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये बिना

एवं धरोहर राशि जब्त किये बिना धरोहर राशि के डी.डी. वापस निविदा दाताओं को लौटा देने तथा उपरोक्त फर्मो द्वारा आपूर्ति से इन्कार करने के फलस्वरूप ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही नहीं करने के कारण शोकॉज नोटिस दिया गया था जिसका जवाब दिनांक 24–10–2017 को प्रार्थी ने अनुशासनिक अधिकारी को मय दस्तावेजात के प्रस्तुत करने के पश्चात भी तीन आरोपों पर मुख्य लेखाधिकारी ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ की टिप्पणी के आधार पर प्रार्थी की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

अपचारी कर्मचारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत करकेड़ी में मै0 वीर तेजा कन्स्ट्रक्शन मोखमपुरा द्वारा समग्री सप्लाई में असमर्थता व्यक्त करने के उपरान्त उसकी धरोहर राशि 2 प्रतिशत को राजकोष में जमा नहीं करायी गई, के संबंध में उल्लेख है कि जब्त की गई धरोहर राशि रूपये 19000/– पंचायत खाते में दिनांक 20–3–2017 को जमा करा दी थी जिसका इन्द्राज रोकड़ पंजिका में दर्ज है और जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी इसको प्रमाण न मानते हुए दण्डादेश दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपचारी कर्मचारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि आरोप पत्र में मै0 वीर तेजा कन्स्ट्रक्शन को अपूर्ण नोटिस दिया गया, के संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी ने क्रय समिति के निर्णयानुसार दिनांक 1–2–2017 को वीर तेजा कन्स्ट्रक्शन मोखमपुरा को नोटिस दिया था, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। क्रय समिति ने सफल विड दाता से 39 प्रतिशत प्रतिभूति व 2375/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर सहमति प्राप्त करने का नोटिस देने का निर्णय किया था। क्रय समिति में सहायक लेखाधिकारी, सरपंच, सहायक अभियन्ता एवं ग्राम सेवक सदस्य होते है। क्रय समिति की अनुशंसा पर इन सभी के हस्ताक्षर है। इसकी पालना में प्रार्थी द्वारा पूर्ण नोटिस दिया गया था। इन तथ्यों की अनदेखी कर अनुशासनिक अधिकारी ने दण्डादेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अपचारी कर्मचारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत करकेड़ी में मैसर्स रतन बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स रूपनगढ़, मैसर्स राजाराम कन्स्ट्रक्शन रूपनगढ़ के निविदा शर्तो के अनुसार सामग्री सप्लाई करने से इन्कार करने पर इनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये बिना एवं धरोहर राशि जब्त किये बिना, धरोहर राशि के डीडी वापस निविदा दाताओं को लौटा देने तथा उपरोक्त फर्मो द्वारा आपूर्ति से इन्कार करने के फलस्वरूप ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही नहीं करने की वस्तुस्थिति आरोप में दिये गये विवरण से भिन्न है। ग्राम पंचायत को कभी भी इन दोनों निविदाताओं ने सप्लाई करने से इन्कार नहीं

किया। विकास अधिकारी श्री त्रिलोकाराम ने पंचायत द्वारा जारी निविदा संख्या 74 दिनांक 17–1–2017 को दरकिनार कर, पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित निकट की अन्य ग्राम पंचायत नंवा के सप्लायर मैसर्स संजू कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को प्रार्थी की पचायत करकेडी में आदेश क्रमांक पसकि/महानरेगा/लेखा/2016–17/476–79 दिनांक 6–2–2017 द्वारा अधिकृत आपूर्तिकर्ता नियुक्त कर दिया था एवं इसके पश्चात ही वित एवं लेखा मार्गदर्शिका 2011 के पैरा 15.24 के अनुसार सरपंच के आदेशानुसार मैसर्स रतन बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स रूपनगढ़, मैसर्स राजाराम कन्स्ट्रक्शन रूपनगढ़ की धरोहर राशि लौटाई गई है जिनकी छाया प्रतियां प्रस्तुत करने के पश्चात भी अनुशासनिक अधिकारी द्वारा गौर नहीं कर दण्डादेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अपचारी कर्मचारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत मैसर्स वीर तेजा कन्स्ट्रक्शन मोखमपुरा, मैसर्स रतन बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स रूपनगढ़ एवं मैसर्स राजाराम कन्स्ट्रक्शन रूपनगढ़ द्वारा सामग्री आपूर्ति करने से इन्कार करने से मना करने पर इनको ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही नहीं करने का प्रश्न है, जिसके संबंध में कथन है कि निविदा संख्या 74 के क्रम में सप्लायर्स का अनुमोदन पंचायत समिति स्तर पर किया गया है एवं उक्त फर्मो को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही भी उसी स्तर से होनी चाहिए थी क्योंकि सभी सप्लायर्स का पंजीयन पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। प्रार्थी ने पंचायत करकेडी की निविदा में कोई भी नियम विरूद्ध कार्य नहीं किया है। इसके विपरीत विकास अधिकारी श्री त्रिलोकाराम ने कार्यवाही नियम विरूद्ध बताते हुए करार पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना किया एवं ग्राम सेवक के वित्तीय अधिकार रोके, जिनकी छाया प्रतियां अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात भी उन पर गौर न कर दण्डादेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर मुख्य कार्यकारी अध्किारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया कि श्री अनिल भाटी तत्कालीन ग्राम सेवक के विरूद्ध ग्राम पंचायत करकेड़ी में निर्माण सामग्री निविदा का नियम विरूद्ध अनुमोदन करने पर इनके विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये गये थे। जिसका जवाब उनके द्वारा दिनांक 24–10–2017 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अपचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मुख्य लेखाधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी में चार में से तीन आरोपों के लिए संबंधित ग्राम सेवक को दोषी माना गया था। उक्त प्रकरण में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी एवं व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर श्री अनिल भाटी तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत करकेड़ी को दोषी मानकर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपीलार्थी को दिया गया दण्ड उचित है।

अपचारी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि श्री अनिल भाटी तत्कालीन ग्राम सेवक के विरूद्ध ग्राम पंचायत करकेड़ी में निर्माण सामग्री निविदा का नियम विरूद्ध अनुमोदन करने पर इनके विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये गये थे जिसका जवाब उनके द्वारा दिनांक 24–10–2017 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अपचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मुख्य लेखाधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी में चार में से तीन आरोपों के लिए संबंधित ग्राम सेवक को दोषी माना गया था। उक्त प्रकरण में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी एवं व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर आरोप प्रमाणित मानते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर द्वारा श्री अनिल भाटी तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत करकेड़ी को दोषी मानकर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपीलार्थी को दिया गया दण्ड उचित प्रतीत होता है।

चूंकि अपचारी कार्मिक पर लगाये गये आरोप प्रमाणित माने है। अतएव अपचारी कार्मिक श्री अनिल कुमार भाटी तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत करकेड़ी, पंचायत समिति किशनगढ जिला अजमेर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 17 के अन्तर्गत पारित दण्डादेश दिनांक 12.11.2018 विधि सम्मत होने से इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश क्रमांक जिपअ/संस्थापन/2018/1717 दिनांक 12.11.2018 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर